



® राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-
मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 0121
फैक्स- 011- 25846462
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ (राज.)
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)

BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com

PHONES : 25842383,25846272,25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com

CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office) Tele – Fax :-
01509-238027
e-mail – directorcsfsrg@gmail.com

–: निविदा सूचना :-

नेशनल सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड, केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ खण्ड 4 एवं 5 में स्थित बीज विधायन केन्द्रों पर विधायन व पैकिंग कार्य हेतु (अनुमानित मात्रा 100000 क्वि0 रॉ बीज) वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए पंजीकृत ठेकेदारों से दो बिड सिस्टम के आधार पर निम्नानुसार निविदा आमंत्रित करती है :-

क्र. स.	निविदा फार्म से संबंधित जानकारी				निविदा खोलने की तिथि	
	निविदा शुल्क (Non-refundable)	धरोहर राशि	प्राप्ति तिथि	जमा तिथि	तकनीकी बीड	वित्तीय बीड
1	200 / –	30000 / –	दिनांक 29.03.2018 समय 10:00 बजे से 23.04.2018, समय 11:00 बजे तक	23.04.2018 समय 11:30 बजे तक	23.04.2018 समय 12:00 बजे	23.04.2018 समय 16:00 बजे

अधिक जानकारी हमारी वेबसाइट www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती है। इस संबंध में यदि कोई भूल-सुधार ज्ञापन होगा तो केवल वेबसाईड पर ही डाला जायेगा।

निदेशक



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-
मिनिरल कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 0121
फैक्स- 011- 25846462
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ (राज.)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383,25846272,25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office) Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsg@gmail.com

फैक्स-01509-238027

विधायन संयंत्र सं० 20, 238 व 201 पर रबी 2017–18, जायद 2018 तथा खरीफ 2018 में उत्पादित राँ बीजों के विधायन, पैकिंग तथा पल्लेदारी कार्य का ठेका लेने के लिए नियम व शर्तें

1. विधायन/पैकिंग कार्य में सम्मिलित सभी कार्य की दरें बीज/पैक बीज पर ही देय होगी। निविदादाता को धरोहर राशि रूपये 30,000/– (रूपये तीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो कि "राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड", सरदारगढ के नाम देय हो, फार्म खजान्ची के पास जमा करवाना / निविदा के साथ जमा करना आवश्यक है। EMD के बिना कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। EMD पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
2. असफल निविदादाताओं की EMD एक निश्चित अवधि में पार्टी के लिखित अनुरोध पर चेक/ RTGS के माध्यम से वापस की जायेगी। L-1 पार्टी /सफल निविदादाता द्वारा किसी भी कारण से नाम वापस लिये जाने की स्थिति में पार्टी की अमानत राशि वापस नहीं की जायेगी। ठेके के संतोषप्रद समाप्ति उपरांत सफल निविदादाता की EMD/Security money बिना किसी ब्याज के वापस की जायेगी
3. बीज की किस्म बदलने से पूर्व मशीन की जाली बदलवाने में सहयोग करना एवं आस-पास व गोदाम के अन्दर से प्रत्येक बीज (दाना) पुर्ण रूप से साफ करवाना होगा, जिसका कोई भी भुगतान अलग से देय नहीं होगा।
4. बीज विधायन केन्द्र के बाहर ब्लोअर से निकले कचरे को साथ-साथ हटाकर, टूटा हुआ दाना बोरियों में भरकर ग्रेड बनाकर सीलकर दूसरे गोदाम में रखना होगा, जिसका भुगतान अलग से देय नहीं होगा।
5. ठेका मंजूर होने पर ठेकेदार को फार्म द्वारा दिये गये समय के अन्दर कार्य शुरू करना होगा।
6. अगर ठेके का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जायेगा तो उसका ठेका बिना किसी नोटिस के रद्द किया जा सकता है तथा धरोहर राशि जब्त कर कार्यवाही भी की जा सकती है।
7. खाली बोरियों, कट्टों व थैलियों को अच्छी तरह झाड़कर, पलटकर 25–25 के बण्डल बनाकर गोदाम में कार्य के साथ-साथ रखना होगा।
8. संसाधन व पैकिंग मैटेरियल ठेकेदार के आदमी द्वारा गोदाम से प्लांट पर लाना होगा तथा पैकिंग व प्रोसेसिंग का कार्य शुरू करना होगा।
9. टेण्डर में दिये गये सभी कार्यों की दरें देना अनिवार्य है अन्यथा कार्य की दर नहीं होने पर उस कार्य को ठेकेदार द्वारा करना अनिवार्य होगा एवं उस कार्य का भुगतान फार्म द्वारा नहीं किया जायेगा।
10. बीज विधायन, पल्लेदारी तथा पैकिंग का कार्य रबी 2016–17, जायद 2017 तथा खरीफ 2017 में उत्पादित सम्पूर्ण उत्पाद के लिए है। अतः सम्पूर्ण कार्य समय पर करके देना अनिवार्य है।
11. ठेकेदार व उसके मजदूरों द्वारा चोरी, मारपीट जैसी हरकत के लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा।
12. मजदूरों की कमी के कारण यदि किसी भी कार्य को फार्म के मजदूरों से करवाना पड़ा या किसी अन्य ठेकेदार से ज्यादा दर पर करवाना पड़ा तो उसका पैसा भी ठेकेदार को देना होगा। यह पैसा ठेकेदार के बकाया बिल या अग्रिम धरोहर राशि से काट लिया जायेगा।

लगातार पृष्ठ 2/–

13. बीज विधायन प्लाण्ट जरूरत पड़ने पर तीन पारियों में 24 घण्टे चलाना होगा। इसके लिये कम से कम 25 मजदूर प्रतिदिन हर हालत में रखने होंगे अन्यथा फार्म अपने मजदूरों से शिफ्ट चलाने को बाध्य होगा और इन मजदूरों को वेतन का भुगतान ठेकेदार के बिल से काट कर किया जायेगा।
14. मजदूरों को लाना व समय पर कार्य करवाने की पूरी जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
15. काम के समय दिन या रात को ठेकेदार के मजदूर फार्म की बोरियों, कट्टों या थैलियों को सोने के लिये बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे।
16. ठेकेदार को काम के समय कार्यस्थल पर हमेशा मौजूद रहना होगा।
17. किसी कारणवश: भुगतान मिलने में देरी होती है, तो ऐसे हालात में ठेकेदार को कार्य जारी रखना होगा।
18. मजदूरों को पर्याप्त संख्या में कार्य के दौरान, संसाधन सयंत्र पर उपलब्ध रहना होगा।
19. बीज व अण्डर साईज की तुलाई सही व निश्चित मात्रा के अनुसार होनी चाहिये अन्यथा किसी भी बोरी, कट्टे व थैली को तोलकर चैक किया जा सकता है और अगर तोल सही न मिली तो पूरा का पूरा लॉट दूबारा बिना भुगतान के तौलना होगा।
20. कम से कम दस टांकों के साथ मजबूती से सूतली से बीज एवं अबीज की बोरियों को सही ढंग से सिलना होगा व बीज को फैलने व बिखरने से बचाना होगा।
21. ट्राली व ट्रक में बीज व अबीज को भरते व खाली करते समय बीज को बिखरने से बचाना होगा।
22. तिरपाल, कैंरेट, पैकिंग का सामान गोदाम से ठेकेदार को अपने ही मजदूरों से मंगवाना होगा।
23. बाल व श्रम अधिनियमानुसार छोटे बच्चों व शराबी मजदूरों को प्लाण्ट के अन्दर लाना व उनसे कार्य करवाना सख्त मना है।
24. प्लाण्ट प्रभारी, शिफ्ट प्रभारी, मैकेनिक, हैल्पर या अन्य फार्म के कर्मचारी/अधिकारी व फार्म पर आने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ अभद्र व्यवहार करने पर ठेकेदार का ठेका रद्द करके अग्रिम धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
25. ठेकेदार द्वारा कार्य पर लगाये गये मजदूरों का पहचान पत्र/आधार कार्ड कार्यालय में जमा करवाना होगा एवं रोजाना हाजिरी लगाकर शिफ्ट प्रभारी को देनी होगी।
26. ठेकेदार को उसके मजदूरों का भुगतान स्वयं ही करना होगा तथा सभी प्रकार की वैधानिक जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
27. ठेकेदार अपना ठेका किसी दूसरे ठेकेदार के नाम बिना निदेशक की इजाजत के स्थानांतरण नहीं कर सकता है।
28. ठेकेदार व उसके मजदूर प्लाण्ट या गोदाम में बीड़ी, सिगरेट नहीं पीयेगें तथा ज्वलनशील पदार्थ बीज विधायन सयंत्र व बीज गोदाम के अन्दर नहीं लायेगें।
29. प्रतिदिन काम की समाप्ति पर गोदाम या प्लाण्ट के शटर बन्द करने होंगे।
30. माल उतारते व लादते समय कटे व खुले कट्टे, बोरियों को ठेकेदार अपने मजदूरों से दुबारा सील करके लादना होगा।
31. ठेकेदार के मजदूरों द्वारा हुक से बोरियों, कट्टों व थैलियों के फटने तथा चट्टे के ऊपर से बोरी गिर जाने के कारण फट जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार के बिल से काट कर की जायेगी।
32. ठेकेदार को कार्य पर लगे मजदूरों को समय पर मजदूरी का भुगतान हर हालत में करना होगा। किसी भी शिकायत का जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
33. विधायन संयंत्रों पर प्रतिदिन कम से कम 500 –800 क्विं. रॉ बीज की ग्रेडिंग करने हेतु श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे।

34. ठेकेदार को ठेका मिलने के बाद रूपये 100/- के स्टाम्प पेपर पर निदेशक महोदय, केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ (राजस्थान) से अनुबन्ध करना होगा।
35. प्लान्ट पर कार्य के दौरान मजदूरों के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
36. ठेकेदार को अपना PAN नम्बर देना होगा तथा कार्य के अनुसार आयकर की कटौती बिलों में से की जायेगी एवं सर्विस टेक्स रजि० नं० अथवा इसके आवेदन की रसीद संलग्न नहीं होने पर बिलों का भुगतान सर्विस टेक्स रजि० नं० प्रस्तुत करने उपरान्त ही संभव होगा।
37. विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ (राज.) का ही सर्वमान्य होगा।
38. प्रमाणीकरण संस्था के फसलवार समयावधि के अन्दर ही संसाधन हर हाल में पूर्ति करनी होगी।
39. विधायन/पैकिंग का कोई भी कार्य बिना शिफ्ट इंचार्ज अथवा विधायन प्रभारी के संज्ञान में लाये बिना यदि किया जाता है तो ठेकेदार के खिलाफ उचित कार्यवाही की जा सकती है।
40. ठेकेदार को अपने स्थायी निवास का प्रमाण-पत्र एवं कार्य अनुभव प्रमाण पत्र (कम से कम 2 वर्ष) का देना होगा।
41. ठेकेदार अपने मजदूरों को दवाई का कार्य करते समय मास्क व दस्ताने का प्रयोग अवष्य करना होगा। दवा की पुड़िया बनाते एवं बीज का उपचार करते समय बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं एवं बीमार मजदूरों को काम पर नहीं लगायेगा तथा शिफ्ट इन्चार्ज द्वारा बताये निर्देशों का पालन करेगा।
42. ठेकेदार व उसका प्रतिनिधि तथा मजदूरों का नाम व पता कार्य पर लगाने से पूर्व लिखित में प्लांट प्रभारी को देना होगा।
43. ठेकेदार के अगले बिल का भुगतान, पिछले महीनों में ESI, EPF की कटौती व जमा करने के चालान की प्रति व मजदूरों को भुगतान करने का विवरण प्रस्तुत करने परान्त ही संभव होगा।

Annexure "A"

**टेक्नीकल बिड
टेण्डर फॉर्म (श्रमिक ठेकेदार)**

1. श्रमिक ठेकेदार का नाम व पता
-
-
2. रजिस्ट्रेशन नं० (श्रमिक ठेकेदार)
- 3- ई०पी०एफ० रजिस्ट्रेशन नं०
- 4- सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नं०
- 5- इन्कम टैक्स पेन नं०
- 6- अनुभव प्रमाण-पत्र
- 7- डी०डी० नं० /दिनांक /राशि

नोट :-उपरोक्त चाहे गये दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें।

हस्ताक्षर

.....

नाम

.....

पता

.....

फोन / मोबाइल नं०

.....

ई०मेल

.....

सेवा में,

श्रीमान निदेशक

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-
मिनिरल कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383,25846272,25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office) Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsrc@gmail.com

टेण्डर फार्म (वित्तीय बोली)

रबी 2017-18, जायद-2018 / खरीफ-2018

क्र.सं.	विधायन कार्य	पैकिंग साइज	दर प्रति क्विंटल (रुपये)
1	रॉ-सीड के विधायन का कार्य करना:- जिसमें रॉ सीड की बोरी चट्टे से उठाकर फीडिंग स्थल पर डालना या ट्रक/ट्रॉली में लोड करके फीडिंग स्थल पर डालना, फीडिंग स्थल से रॉ-सीड को एलीवेटर में डालना, प्रोसेसिंग मशीन से निकाले गये बीज की बोरियों पर मार्का/बुकरम का लेबल लगाकर, भरना, तोलना एवं सिलना। सीड का उसी स्थान पर या अन्य गोदाम में ट्रक/ट्रॉली में लोड करके बताये गये स्थान पर चट्टा लगाना तथा अण्डर साइज को बैग में भरकर तोलकर सिलना, ट्रक/ट्रॉली में लोड करना, गोदाम में या अन्य जगह पर चट्टा लगाकर तिरपाल से ढकना साथ ही बीज के चट्टे की जगह/प्रोसेसिंग स्थल/ट्रॉली इत्यादि की साफ-सफाई करना।	20-50 किग्रा	
2	रिप्रोसेसिंग का कार्य करना:- विधायन संयंत्र प्रभारी के निर्देशानुसार यदि आवश्यकता हुई तो ग्रेडर एवं ग्रेविटि सैपरेटर से निकले अंडरसाइज बीज का पुनः विधायन करना।	20-50 किग्रा	
3	बीज की पैकिंग का कार्य करना:- जिसमें बीज की बोरियों को लोड करके दूसरे गोदाम में ले जाना या बीज की बोरियों को चट्टे से उठाकर दूसरी जगह रखना, बोरी खोलना, विभिन्न साइज की थैलियों पर रबड़ की मोहरों से मार्का लगाना या मार्कर कलम से लिखना। रबड़ की मोहर से टैग, लेबल बनाना। बीज को विभिन्न साइज की थैलियों में भरना, तोलना, थैलियों में लीफलेट, कल्चर तथा दवा की पुड़िया डालना। टैग, लेबल मिलाकर थैलियों को हटाना, बीज की थैलियों की सिलाई एवं सील लगाना, सील प्लायर से दबाना। छोटी थैलियों को बड़ी बोरी में भरना, सिलाई करना तथा ट्रक/ट्रॉली में लोड करके दूसरे गोदाम में ले जाकर चट्टा लगाना या उसी स्थान पर चट्टा लगाना। साथ ही पैकिंग स्थल की पूर्णतः साफ-सफाई करके पैकिंग करना एवं पैकिंग के बाद सीड स्वीपेज को बोरियों में भरकर बताये स्थान पर चट्टा लगाना।	01 किग्रा से कम 01-05 किग्रा 06-10 किग्रा 11-20 किग्रा 21-40 किग्रा	
4	एडवांस पैकिंग (अग्रिम पैकिंग) करना :- जिसमें रॉ-सीड के विधायन के साथ-साथ आवश्यकतानुसार सीधा ही पैक करना जिसमें कम सं. 01 के सभी कार्य भी सम्मिलित है।	20-40 किग्रा	
5	स्वचालित पैकिंग मशीन से पैकिंग करना:-	01 किग्रा से कम 01-10 किग्रा 11-40 किग्रा	
6	अलग से लेबल/टैग बनाना तथा थैलियों अथवा बोरियों पर मार्का लगाना अथवा हाथ से लिखना	टैग प्रति हजार लेबल प्रति हजार थैली/बोरी प्रति हजार	
7	फेल बीज का पुनः विधायन करना:- जिसमें क्र.सं. 01 व 02 के सभी कार्य सम्मिलित है।	20-50 किग्रा	

क.सं.	विधायन कार्य	पैकिंग साइज	दर प्रति क्विंटल (रुपये)
8	रीवेलीडेशन का कार्य करना:- जिसमें छोटी थैलियों को बोरी में से निकालकर हर थैली के टेग पर रीवेलीडेशन की मोहर लगाना तथा प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारी के हस्ताक्षर के बाद फिर से बोरी में भरना, सिलना तथा चट्टा लगाना या 10 से 40 किग्रा के बैग का चट्टा लगाना, टेग पर रीवेलीडेशन की मोहर लगाना तथा प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारी के हस्ताक्षर के बाद फिर से चट्टा लगाना।	01 किग्रा से कम 01-05 किग्रा 06-10 किग्रा 11-20 किग्रा 21-40 किग्रा	
9	अलग से लोडिंग अथवा अनलोडिंग करना:- फार्म की ट्रॉली अथवा ट्रक में लोडिंग करना या किसी भी गोदाम में अनलोडिंग कर चट्टा लगाना। ये दरें विपणन विभाग के लिए मान्य होगी।	20-50 किग्रा	
10	अलग से चट्टा लगाना:- जिसमें बिना लोडिंग या अनलोडिंग कर पीठ से चट्टा लगाना।	20-50 किग्रा	
11	खाली बोरियों का 25-25 की संख्या में बण्डल बनाकर बताये गये स्थान पर चट्टा लगाना।	20-50 किग्रा	
12	बीज उपचारित करना:- अ:- हाथ द्वारा बीज उपचारित करना। ब:- मशीन द्वारा बीज उपचारित करना।	प्रति क्विंटल प्रति क्विंटल	
13	विधायन केन्द्र से निकले कचरे को हाथ से सफाई करना:- जिसमें चट्टा तोड़ना, बोरियों को खोलना, आवश्यकतानुसार फार्म के ट्रैक्टर से व्हील/थ्रेसिंग के बाद साफ करके बोरियों में भरकर तुलाई करके, सिलाई के बाद लोड कर बताये गये स्थान पर चट्टा लगाना।	20-50 किग्रा	
14	06 से 80 ग्राम तक दवा की पुड़िया बनाना:- जिसमें प्लास्टिक की थैलियों को खोलकर आवश्यकतानुसार दवा भरकर धागे से बांधना।	प्रति पुड़िया	
15	स्पाइरल मशीन से सीड को निकालना:- जिसमें सीड को गोदाम से ट्रक/ट्रॉली में लोड कर या उसी स्थान से स्पाइरल मशीन पर डालना, स्पाइरल मशीन से सीड को निकालना, स्टेण्डर्ड बैग बनाकर तौलना, सिलना, उसी स्थान पर या ट्रक/ट्रॉली में लोड करके अन्य गोदाम में चट्टा लगाना तथा स्पाइरल मशीन से निकले खरपतवार बीज/अण्डर साइज को बोरियों में भरकर, तौलकर सिलना, ट्रक या ट्रॉली में लोड करके बताये गये स्थान पर चट्टा लगाना।	20-50 किग्रा	
16	बल्क पैकिंग का कार्य करना:- जिसमें बोरियों को ट्रक/ट्रॉली में लोड करके दूसरी जगह ले जाना, हर बैग में टैग सिलना फिर ट्रॉली में लोड कर गोदाम में ले जाकर चट्टा लगाना।	20-50 किग्रा	
17	मोबाइल प्लांट से अण्डर साइज/बीज की सफाई करना:- जिसमें क0सं0 11 के सभी कार्य सम्मिलित हैं।	20-50 किग्रा	
18	पैकिंग कार्य के दौरान खाली बोरियों को 25-25 के बण्डल लगाकर उचित स्थान पर रखना।	प्रति बण्डल (25)	
19	पैक बीज पर अलग से मोहर लगाना:- जिसमें चट्टा तोड़कर छोटी थैलियों को बोरी से निकालकर थैली टैग व लेवल पर मोहर लगाकर चट्टा लगाना।	प्रति मोहर	
20	प्लांट सफाई, सेम्पल आदि निकालना एवं अन्य कार्य हेतु श्रमिक उपलब्ध कराना	दर प्रति मानवदिवस	
21	कैरी ओवर बीज का पुनः विधायन करना एवं पैकिंग:- कैरी ओवर बीज के रीवेलीडेशन के समय आवश्यकतानुसार पैक बीज का पुनः विधायन करना एवं पैक करना जिसमें बीज को चट्टे से उठाकर फिडींग स्थल पर डालना, विधायन करना एवं पैक करना	01 किग्रा से कम 01-05 किग्रा 06-10 किग्रा 11-20 किग्रा 21-40 किग्रा	
22	पैक बीज का पौली पाउच में रिपैकिंग करना - इसमें पैक बीज को खोलकर, टैग सुरक्षित निकालकर पौली पाउच में पैक करना जिसमें बीज चट्टे से उठाकर पैकिंग स्थान पर डालना, थैली खोलना, स्टीकर चिपकाना व पैक बीज को आउटर पैकिंग में भरकर सिलाई करने के बाद चट्टा लगाना।	1 किग्रा से कम 01-02 किग्रा 03-05 किग्रा	

पार्टी के हस्ताक्षर:-.....

टेकेदार का नाम:-.....

पिता का नाम:-..... गांव व पोस्ट:-.....

जिला:-.....

मोबाइल नं० :-..... ई०मेल नं०